विकास के आकार का महत्त्व

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक -अरुण मायरा (पूर्व सदस्य, योजना आयोग)

27 दिसंबर, 2018

''नीति आयोग की 'न्यू इंडिया @ 75 रणनीति' में दी गयी कुछ सिफारिशें चिंता का कारण हैं।''

जहाँ एक तरफ पूर्ववर्ती योजना आयोग की योजनाओं से नीति आयोग की 'न्यू इंडिया @ 75 रणनीति' में कई ताजा सुधार किये गये हैं, वहीं दूसरी तरफ अनुशंसित कुछ रणनीतियों के बारे में भी कई चिंताएं विद्यमान हैं।

विकास के लिए एक जन आंदोलन के निर्माण की योजना और बजट की तैयारी से योजना के दृष्टिकोण को बदलने का इरादा, जिसमें 'प्रत्येक भारतीय अपनी भूमिका को पहचानता है और मूर्त लाभों का अनुभव करता है, प्रशंसनीय है। यह रणनीति इस बात की पुष्टि करती है कि आर्थिक अमूर्तता के बजाय 'नीति निर्धारण को जमीनी वास्तविकताओं में निहित करना होगा'।

इसमें कहा गया है कि रणनीति तैयार करने में हितधारकों से व्यापक रूप से सलाह ली गई है, जैसा कि पूर्ववर्ती योजना आयोग ने भी कहा था। हालांकि, मुद्दा परामर्श की गुणवत्ता है। नीति आयोग के लिए हितधारकों से इस बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करना सार्थक साबित होगा कि इसने परामर्श की प्रक्रिया में पर्याप्त सुधार किया है या नहीं।

यहाँ रणनीति, नीतियों और बुनियादी स्तर पर सेवा वितरण के कार्यान्वयन में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर देती है, जो नागरिकों के लिए काफी मायने रखती है। इसके दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की 15 रिपोर्टों का पुनरुत्थान और सिफारिश, जिसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, का स्वागत है। पिछली सरकार ने अपने लक्ष्य से नजर हटा ली थी।

वृद्धि का अर्थ

रोजगार और श्रम सुधार को रणनीति के दूसरे अध्याय में सही तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जो पिछली योजनाओं में शामिल नहीं था। समग्र विकास पर भी नीति आयोग द्वारा जोर दिया जाता है, जिसमें तेजी से विकास होने के अलावा, जो 2022-23 तक 9-10 प्रतिशत तक पहुंच जायेगा, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि विकास समावेशी, निरंतर, स्वच्छ और औपचारिक हो। अर्थव्यवस्था द्वारा रोजगार पैदा करने की क्षमता समग्र जीडीपी विकास दर की तुलना में नागरिकों के लिए अधिक मायने रखती है। देखा जाये तो नागरिकों के लिए यह खुशी कि बात नहीं होगी यदि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो, लेकिन अभी तक रोजगार और बेहतर आय प्रदान करने में सक्षम नहीं हो।

अधिक रोजगार सृजित करने और भारतीयों को बड़े अवसर प्रदान करने के लिए उद्योग और विनिर्माण की वृद्धि आवश्यक है, जो अब तक कृषि पर निर्भर थे। रोजगार सृजन के लिए श्रम-गहन उद्योगों की आवश्यकता होती है। यदि विनिर्माण क्षेत्र जीडीपी के 16% से 25% तक बढ़ता है, जो रणनीति लक्ष्य के रूप को दर्शाता है, तो फिर भी अधिक पूंजी-गहन उद्योगों के साथ, यह रोजगार की समस्या को हल नहीं करेगा।

रणनीति कहती है कि श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन समग्र लक्ष्य इस क्षेत्र का आकार बना हुआ है। इसलिए, लक्ष्य को स्पष्ट रूप से रोजगार और नीतियों तथा प्रगति के माप के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। औपचारिक, साथ ही अनौपचारिक विभिन्न रूपों में रोजगार को मापने के लिए भारतीय सांख्यिकीय प्रणालियों को जल्दी सुधारना चाहिए।

रणनीति मानव विकास के लिए अधिक संसाधन प्रदान करने के लिए कर आधार बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इसके अनुसार भारत के उत्पादन आधार को मजबूत करने के लिए वित्तीय निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए। हालाँकि, इस व्यापार को बंद करना आसान नहीं होगा। यदि कर प्रोत्साहन दिया जाता है, तो उन्हें रोजगार सृजन का पक्ष लेना चाहिए, न कि अधिक पूंजी निवेश का।

भारतीय अर्थव्यवस्था के औद्योगिक बुनियादी ढांचे में एक बड़ी कमजोरी यह है कि मध्यम स्तर के संस्थान गायब हैं। छोटे उद्यमों को अत्यधिक रूप से औपचारिक रूप देने के बजाय, छोटे उद्यमों के समूहों और संघों को औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए।

छोटे उद्यम अत्यधिक औपचारिकता का बोझ नहीं उठा सकते हैं, जिसके लिए राज्य और बैंकिंग प्रणाली को मद्द करनी चाहिए। औद्योगिक विकास के लिए नीति आयोग की योजना ने बहुत ही प्रतिस्पर्धी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में छोटे उद्यमों के मजबूत समूहों की आवश्यकता को बहुत ही सही ढंग से उजागर किया है।

श्रम कानूनों को पुनर्जीवित करना

श्रम कानूनों पर रणनीति लाखों भारतीयों के जीवन को ऊंचा उठाने की महत्वाकांक्षी रणनीति की तुलना में कमजोर दिखाई देती है। यह 2019 तक केंद्रीय श्रम कानूनों की चार संहिताओं में पूर्ण संहिताकरण की सिफारिश करती है। जबकि इससे भारतीय विनियामक भूलभुलैया के माध्यम से निवेशकों और नियोक्ताओं के लिए आसान नेविगेशन सक्षम हो जाएगा और यहाँ आवश्यकता है कानूनों और नियमों के एक मौलिक पुनर्संयोजन की, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयुक्त हो।

वास्तव में, यदि नियोक्ता अपने उद्यमों की प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो राज्य को नागरिकों को वह निष्पक्षता प्रदान करनी होगी जिसकी वे अर्थव्यवस्था से उम्मीद करते हैं। नीति आयोग रणनीति एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के कुछ संदर्भों का सुझाव देती है। इन्हें तेज किया जाना चाहिए।

नियोक्ताओं को अधिक लचीलापन देने के लिए यूनियनों को कमजोर करने के बजाय, कानूनों को अधिक निष्पक्षता के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। वास्तव में, कई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन बताते हैं कि दुनिया भर में जो अशिष्ट असमानताएं सामने आई हैं, उनमें से एक प्रमुख कारण यूनियनों का कमजोर होना है। नीति आयोग रणनीति में घरेलू श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है। यह तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि लाखों घरों में बिखरे घरेलू कामगारों के पास सामूहिक रूप से अपने अधिकारों का दावा करने का साधन न हो।

भारत में सभी नियोक्ताओं को यह महसूस होना चाहिए कि श्रमिक भी उनके प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का हिस्सा हैं। भारत में संसाधन के रूप में श्रम की प्रचुरता है, जबकि पूंजी अपेक्षाकृत दुर्लभ है। यदि नियोक्ता उनमें निवेश करते हैं, तो मानव नए कौशल सीख सकता है।

विकास प्रक्रिया का आकार जीडीपी के आकार से अधिक लोगों के लिए मायने रखता है। विकास, लोगों के द्वारा (अधिक सहभागी), लोगों का (स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल) और लोगों के लिए (उनकी आय में वृद्धि, कल्याण और खुशी) से अधिक संबंधित होना चाहिए। 75 पर भारत कितना अच्छा कर रहा है, यह तीन आयामों के साथ, उसके नागरिकों द्वारा अनुभव किए गए विकास के गुणों से मापा जाना चाहिए। इसके लिए जीडीपी वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी।

GS World टीम...

अभिनव भारत @ 75 के लिए कार्यनीति

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में नीति आयोग ने 19 दिसंबर 2018 को भारत के लिए समग्र राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की।
- इसमें 2022-23 के लिए स्पष्ट उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है।
- इसे तैयार करते समय सरकार के भीतर केन्द्रीय राज्य और जिला स्तर पर 800 के ज्यादा हितधारकों और लगभग 550 बाहरी विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया गया।

क्या है?

- यह 41 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विस्तृत विवरण है।
- यह पहले से हो चुकी प्रगति को मान्यता प्रदान करती है, बाध्यकारी रुकावटों की पहचान करती है और स्पष्ट रूप से वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा के बारे में सुझाव देती है।

कैसे तैयार की गई कार्यनीति?

- इस कार्यनीति को तैयार करने में नीति आयोग द्वारा सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण का अनुसरण किया गया है।
- नीति आयोग द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में हितधारकों के तीनों समूहों, यथा कारोबारी व्यक्ति, वैज्ञानिकों सहित शिक्षाविद् और सरकारी अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया।
- इसके बाद, उपाध्यक्ष के स्तर पर हितधारकों के 7 सेटों में से प्रमुख व्यक्तियों के विविधतापूर्ण समूह के साथ विचार-विमर्श किया गया।
- इन प्रमुख व्यक्तियों में वैज्ञानिक और नवोन्मेषी, किसान, सामाजिक संगठन, थिंक टैंक, श्रमिकों के प्रतिनिधि और श्रम संगठन तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल थे।
- प्रत्येक अध्याय के मसौदे को विचार-विमर्श के लिए वितरित किया गया और जानकारियां, सुझाव तथा टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय मंत्रियों को भी साथ जोड़ा गया।
- इसके दस्तावेज का मसौदा सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में भी वितरित किया गया, जहां से प्राप्त बहुमूल्य सुझावों को इसमें शामिल किया गया।

कार्यनीति के चार खंड

- दस्तावेज के 41 अध्यायों को चार खंडों, क्रमशः वाहक, अवसंरचना, समावेशन और गवर्नेंस में विभाजित किया गया है।
- वाहकों पर आधारित **पहला खंड** आर्थिक निष्पादन के साधनों, विकास और रोजगार, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष पारिस्थितिकी को उन्नत बनाने और फिनटेक तथा पर्यटन जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने संबंधी अध्यायों पर ध्यान केन्द्रित करता है।

इस खंड की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- वर्ष 2018-23 के दौरान लगभग 8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था की गति को निरंतर तेजी से बढ़ाना।
- इससे अर्थव्यवस्था के आकार में वास्तविक अर्थ में विस्तार होगा और यह 2017-18 में 2.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2022-23 तक लगभग चार ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी।
- सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) द्वारा आंकी गई निवेश दरों में जीडीपी के मौजूदा 29 प्रतिशत में वृद्धि लाते हुए 2022 तक 36 प्रतिशत तक बढ़ाना।
- कृषि क्षेत्र में, ई-राष्ट्रीय कृषि मंडियों का विस्तार करते हुए तथा कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम के स्थान पर कृषि उपज और मवेशी विपणन अधिनियम लाकर किसानों को 'कृषि उद्यमियों' में परिवर्तित करने पर बल दिया जाए।
- 'शून्य बजट प्राकृतिक खेती' की तकनीकों पर दृढ़ता से बल देना, जिससे लागत में कमी आती है, मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता

है तथा किसानों की आमदनी बढ़ती है। यह वातावरण के कार्बन को मृदा में ही रखने की एक जांची-परखी पद्धति है।

- खनन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति का पुनर्निर्माण करने के लिए 'एक्सप्लोर इन इंडिया' मिशन का आरंभ करना।
- **दूसरा खंड** अवसंरचना से संबंधित है, जो विकास के भौतिक आधारों का उल्लेख करता है।

इसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- पहले से मंजूर किए जा चुके 'रेल विकास प्राधिकरण' (आरडीए) की स्थापना में तेजी लाना। आरडीए रेलवे के लिए एकीकृत, पारदर्शी और गतिशील मूल्य व्यवस्था के संबंध में परामर्श देने या सुविज्ञ निर्णय लेने का कार्य करेगा।
- तटीय जहाजरानी और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा फ्रेट परिवहन के अंश को बढ़ाना। बुनियादी ढांचा पूरी तरह तैयार होने तक शुरुआत में, वायबिलिटी गैप फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी।
- 2019 में 'भारत नेट' कार्यक्रम के पूरा होने के साथ ही 2.5 लाख ग्राम पंचायतें डिजिटल रूप से जुड़ जाएंगी। वर्ष 2022-23 तक सभी सरकारी सेवाएं राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
- समावेशन से संबंधित **तीसरा खंड** समस्त भारतीय नागरिकों की क्षमताओं में निवेश के अत्यावश्यक कार्य से संबंधित है।

इसकी सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- देश भर में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की स्थापना और 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान' (पीएम-जेएवाई) प्रारंभ करने सहित 'आयुष्मान भारत' कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन।
- केन्द्रीय स्तर पर राज्य के समकक्षों के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए फोकल प्वाइंट बनाना, समेकित चिकित्सा पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन।
- 2020 तक कम से कम 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना के जरिए जमीनी स्तर पर नई नवोन्मेषी व्यवस्था सृजित करते हुए स्कूली शिक्षा प्रणाली और कौशलों की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के निष्कर्षों पर नजर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय शैक्षिक रजिस्ट्री की संकल्पना करना।
- **अंतिम खंड** गवर्नेंस से संबंधित है।

इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- उभरती प्रौद्योगिकियों के बदलते संदर्भ तथा अर्थव्यवस्था की बढ़ती जटिलताओं के बीच सुधारों का उत्तराधिकारी नियुक्त करने से पहले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना।
- मध्यस्थता की प्रक्रिया को किफायती और त्वरित बनाने तथा न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता का स्थान लेने के लिए मध्यस्थता संस्थाओं और प्रत्यायित मध्यस्थों का आंकलन करने के लिए नए स्वायत्त निकाय, यथा भारतीय मध्यस्थता परिषद् की स्थापना।
- लंबित मामलों को निपटाना- नियमित न्याय प्रणाली के कार्य के दबाव को हस्तांतरित करना।
- भराव के क्षेत्रों को कवर करने, प्लास्टिक अपशिष्ट और नगर निगम के अपशिष्ट तथा अपशिष्ट से धन सृजित करने की पहलों को शामिल करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के दायरे का विस्तार करना।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

   1. हाल ही में नीति आयोग ने भारत के लिए अभिनव भारत @75 रणनीति के नाम से समग्र राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की।

   2. इसमें 2019 तक केंद्रीय श्रम कानूनों की चार संहिताओं में पूर्ण संहिताकरण की सिफारिश की गयी है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन अभी तक यह रोजगार तथा बेहतर आय प्रदान करने में सक्षम नहीं है। इसके प्रमुख कारणों की चर्चा करते हुए इसके समाधान हेतु उठाए गए कदमों को बताइए। (250 शब्द)

नोट : 26 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।